संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल :- dme12001@yahoo.com **दूरभाष नम्बर** :- 0755-2550186
वेबसाईट :- www.medicaleducation.mp.gov.in **फैक्स** :- 0755-2578844

क्रमांक /स्था./अराज/2021, **भोपाल, दिनांक /05/2021**

प्रति,

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
इन्दौर, म.प्र.।

विषय :- **चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु स्वीकृत पदों की अनुसूचियों के संबंध में।**

संदर्भ :- **अधिष्ठाता, इन्दौर का पत्र क्रमांक 572 दिनांक 10.04.2021**

--00--

विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की परिचारिका एवं सह-चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूची **"मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018"** के अनुक्रम में अनुमोदित की जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित।

(आयुक्त चि.शि. द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः- **उपरोक्तानुसार।**

//

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक 513-14 **/स्था./अराज/2021,** **भोपाल, दिनांक** 15 **/05/2021**
प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. आई.टी. शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त अनुसूची विभागीय पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

F:/DME/2021 - Letter 152

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
कार्यालय दूरभाष नंबर :– 0731–2527383, 2527679 ईमेल :– deanliabrary@gmail.com
फैक्स नंबर :– 0731–2514628 वेबसाईट :– www.mgmmcindore.in

क्रमांक 572 / स्था. / स्वशासी / 2021 इन्दौर, दिनांक 10/5/2021

प्रति,
संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु स्वीकृत पदों की अनुसूचियों के संबंध में ।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र कमांक 380 / स्था / अराज / 2021 भोपाल दिनांक 08.04.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इन्दौर की परिचारिका संवर्ग एवं सह–चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूची में संदर्भित पत्रानुसार संशोधन कर संशोधित अनुसूची अनुमोदन हेतु आपकी ओर प्रेषित है ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
इन्दौर

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
7524
22/4/21
डी.एम.ई. / सी.एम.ई.

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन्दौर

अनुसूची–एक
(नियम 4.1 देखिए)

परिचारिका संवर्ग

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड–पे
1	2	3	4
1	मेट्रन	02	9300-34800+4200
2	नर्सिंग सिस्टर	115	9300-34800+3600
3	स्टॉफ नर्स	300	5200-20200+2800

सह चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड–पे
1	2	3	4
1.	कार्डियो परफ्युनिस्ट	04	9300-34800+3200
2.	टेक्नीशियन	60	5200-20200+2800
3.	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	02	5200-20200+2400

टीप :– अनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

कार्यालय अधीक्षक
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(डॉ. श्रीमती [illegible] श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन्दौर

अनुसूची–दो
(नियम 5.1 देखिए)

खण्ड –''ब'' परिचारिका संवर्ग

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1.	मेट्रन	02	-	100%
2.	नर्सिंग सिस्टर	115	5%	95%
3.	स्टॉफ नर्स	300	100%	-

खण्ड –''स'' सह चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1.	कार्डियो परफ्युनिस्ट	04	100%	-
2.	टेक्नीशियन	60	80%	20%
3.	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	02	80%	20%

टीप :– कॉलम 5 में दर्शाये पदों को पदोन्नति के लिये तत्समय अर्हताधारी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की दशा में अथवा पदोन्नति पर वैधानिक बाधा होने की दशा में सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। इस हेतु समय–समय पर कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर सकेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

कार्यालय अधीक्षक
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(डॉ. [illegible])
संचालक चिकित्सा शिक्षा

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
[illegible] चिकित्सा शिक्षा

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन्दौर

अनुसूची–तीन

(नियम 5.2 देखिए)

खण्ड –''स'' परिचारिका संवर्ग

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1	2	नर्सिंग सिस्टर	18 वर्ष	1. एम.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा 3. पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा 4. नर्सिंग प्रशासन में प्रमाण–पत्रोतर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण साथ ही (क) स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव । (ख) म.प्र. नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका ।	65 वर्ष
2	3	स्टॉफ नर्स	18 वर्ष	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।	65 वर्ष

खण्ड –''स'' सह चिकित्सकीय संवर्ग

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1	1	कार्डियक परफ्युनिस्ट	18 वर्ष	1. बी.एस.सी. बायोलॉजी एवं पी.जी. डिप्लोमा (परफ्युजन टेक्नालाजी) 2. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सकीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।	62 वर्ष
2	2	टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र। 3. म.प्र.सह–चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।	62 वर्ष
3	3	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण ।	62 वर्ष

कार्यालय अधीक्षक संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश

निशांत वरवड़े आई.ए.एस. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

(डॉ. ... संचालक चिकित्सा शिक्षा)

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
				2. भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिग्री / डिप्लोमा। 3. म.प्र. फार्मेसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन।	

टीपः–

1. अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद या मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी ।
2. कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

कार्यालय अधीक्षक
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

[illegible]

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
[illegible]

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

अनुसूची–चार

(नियम 7.2 देखिए)

परिचारिका संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर)	मेट्रन	नर्सिंग अधीक्षक	मेट्रन के पद पर 05 वर्ष का कार्य अनुभव।	1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी – **अध्यक्ष** 2. संभागायुक्त द्वारा मनोनीत सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त प्राध्यापक – **सदस्य** 3. चिकित्सा महाविद्यालय का अधीक्षक – **सदस्य**
	नर्सिंग सिस्टर	मेट्रन	नर्सिंग सिस्टर के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव।	
	स्टॉफ नर्स	नर्सिंग सिस्टर	स्टॉफ नर्स के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव।	

खण्ड–स

सह चिकित्सकीय संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	फार्मासिस्ट ग्रेड–1	फार्मासिस्ट ग्रेड–2 के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी – **अध्यक्ष** 2. संभागायुक्त द्वारा मनोनीत सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त प्राध्यापक – **सदस्य** 3. चिकित्सा महाविद्यालय का अधीक्षक – **सदस्य**
	टेक्नीशियन असिस्टेंट/टेक्नीकल असिस्टेंट	टेक्नीशियन	टेक्नीशियन असिस्टेंट/टेक्नीकल असिस्टेंट के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।	

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

कार्यालय अधीक्षक
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन्दौर

अनुसूची–पांच
(नियम 11.1 देखिए)

खण्ड –स सह–चिकित्सकीय संवर्ग

सं.क.	अवकाश का प्रकार	विवरण
1	आकस्मिक / विशेष / ऐच्छिक अवकाश	अनुसूची–एक के खण्ड–स में उल्लेखित संवर्गों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति को केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में नियमानुसार अवकाश उपभोग करने की पात्रता होगी ।
2	अर्जित अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 30 दिवस का अर्जित अवकाश उस केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में किसी अवकाश खाते में अधिकतम 300 दिवस का अर्जित अवकाश जमा कर सकेगा 300 दिवस से अधिक का अवकाश स्वतः ही व्यपगत (लेप्स) हो जावेगा, माह के मध्य में नियुक्त होने पर अर्जित अवकाश की गणना 2½ दिवस प्रति सम्पूर्ण माह की दर से की जावेगी ।
3	अर्द्धवैतनिक / लघुकृत अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 20 दिवस अर्द्धवैतनिक चिकित्सा अवकाश केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में
4	प्रसूति अवकाश	महिला सह–चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को 2 से कम जीवित संतान होने की दशा में 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी ।
5	पितृत्व अवकाश	पुरूष सह–चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को 2 से कम जीवित संतान होने की दशा में 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी, प्रसव के 15 दिवस के पहले अथवा 15 दिवस बाद से 6 माह की अवधि में ना लेने पर व्यपगत (लेप्स) हो जावेगा
6	अध्ययन अवकाश	संवर्ग की पात्रता अनुसार सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रवेषित पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर व्यक्ति को अध्ययन अवकाश का पूर्ण वेतन तथा मंहगाई भत्ता (अन्य भत्ते नही) की पात्रता होगी । अध्ययन अवकाश 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने तथा अवकाश के उपरांत तीन वर्ष से अधिक का समय सेवा निवृत्त हेतु शेष होना आवश्यक होगा ।
7	संतान पालन अवकाश	महिला सह–चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिये अधिकतम 730 दिवस की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत किया जावेगा । जिसमें संतान का 18 वर्ष की आयु से कम होना आवश्यक है परंतु सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना कमांक 16–18/97/एन. 1.1 दिनांक 01 जून 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम 40 प्रतिशत निशक्तता वाली 22 वर्ष से कम आयु की संतान हेतु मान्य होगा ।

टीपः–

1. अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नही किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित में अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं स्वीकृत अवकाश को रद्द करने का निर्णय ले सकेगा।
2. सक्षम प्राधिकारी संबंधित आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रकार को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

कार्यालय अधीक्षक
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा